Press Release

TATA POWER-DDL

बृहस्पतिवार, 12 दिसंबर, 2024 **प्रेस विज्ञप्ति**

नई दिल्ली

टाटा पावर-डीडीएल ने बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों के मामलों का तत्काल निपटारा करने के लिए आगामी 14 दिसंबर, 2024 को लोक अदालत आयोजित करने की घोषणा की

- **नेशनल लोक अदालत का आयोजन पीएलए1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर- 13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में किया जाएगा**

उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली अग्रणी पावर यूटिलिटी टाटा पावर-डीडीएल आगामी शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के साथ मिलकर **'नेशनल लोक अदालत'** में हिस्सा ले रही है। इस लोक अदालत में बिजली चोरी और डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का तत्काल निपटान किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार, 14 दिसंबर, 2024 को सवेरे 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के दौरान, पीएलए1, सब-स्टेशन बिल्डिंग 2/13, सेक्टर- 13, रोहिणी, दिल्ली (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नज़दीक) में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में भाग लेने के इच्छुक लोगों को हेल्पलाइन 19124 पर रजिस्टर करना होगा या रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल करें। अपने मामलों का निपटान करने के लिए पंजीकृत (रजिस्टर्ड) वादियों को अपना फोटो आईडी और अपने बिजली चोरी संबंधी बिल को साथ लेकर आना होगा। इनके अलावा, जो उपभोक्ता अपने विवादित बिलों का निपटान कराना चाहते हैं वे पीएलए-1 में अपने बिल की प्रति और अपने आधार कार्ड के साथ सीधे आ सकते हैं।

नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामलों तथा डिस्कनेक्टेड कनेक्शनों का ऑन-द-स्पॉट (तत्काल) निपटान कराने का अच्छा अवसर मिलता है। यदि उपभोक्ता बिलों का भुगतान और बिजली चोरी संबंधी विवादित मामलों का निपटान करवाने से चूकते हैं, तो उस स्थिति में कंपनी उनके खिलाफ विद्युत अधिनिधियम, 2003 के संबंधित प्रावधानों तथा डीईआरसी विनियमनों के तहत् कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। उपभोक्ता अपने बिलों का चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट (डीडी), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों से अथवा नकद भुगतान कर सकते हैं।

इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए टाटा पावर-डीडीएल विभिन्न माध्यमों से अपने उपभोक्ताओं को इस संबंध में जानकारी पहुंचा रही है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में

टाटा पावर-डीडीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और टाटा पावर के बीच संयुक्त उद्यम है। कंपनी उत्तरी दिल्ली में लगभग 90 लाख की आबादी को बिजली आपूर्ति करती है। टाटा पावर-डीडीएल बिजली वितरण के क्षेत्र में सुधारों के स्तर पर अग्रणी है और इसने उपभोक्ता-केंद्रित व्यवहारों के लिए अपनी साख बनायी है। निजीकरण के बाद से, टाटा पावर-डीडीएल के वितरण इलाकों में एटीएंडसी नुकसान में रिकॉर्ड कमी आयी है। वर्तमान में, एटीएंडसी नुकसान 5.9% के स्तर पर पहुंच चुका है, और जुलाई 2002 में 53% के शुरुआती नुकसान स्तर की तुलना में इसमें अप्रत्याशित कमी आई है।

टाटा पावर-डीडीएल के बारे में और जानकारी के लिए देखें: www.tatapower-ddl.com

For further information please contact:

Corporate Communications:

Sonia Sarin (9910292599)

Slough PR:

Abhishek Anand(9711061540)